न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 123/2018

बउनवानः—

1. दिनेश पुत्र श्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. गायत्री बाई पुत्री श्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
3. उर्मिला बाई पुत्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजेश बाई पुत्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
5. सुनिता बाई पुत्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
6. कैलाश बाई पत्नि स्व0 भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
7. प्रिया नाबा0 पुत्री शिवराज जर्ये वली माता कलावती पत्नि स्व0 शिवराज जाति मीना निवासी रिंझिया तहसील मांगरोल जिला बारां
8. कलावती पत्नि स्व0 श्री शिवराज जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मनोज कुमार पुत्र हंसराज जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजकरन्ता पुत्री हंसराज जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
3. रेणु कुमार पुत्री हंसराज जर्ये वली माता भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
4. गीता बाई पत्नि स्व0 हंसराज जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
5. हेमराज पुत्र केशरीलाल जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
6. रामगोपाल पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
7. किशोर पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी गोपालपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
8. केलाबाई पुत्री अर्जुन पत्नि रामगोपाल जाति मीना निवासी गोपालपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार गालव

वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिओम प्रजापत

दायरा दिनांक: 27.09.2018

निर्णय दिनांक : 25.04.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रिझिंया तहसील मांगरोल के निवासी है, वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की कृषि आराजी खाता संख्या 120 खसरा नं0 42 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 42/611 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 42/612 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 48 रकबा 1.84 है0, खसरा नं0 52 रकबा 0.94 है0, खसरा नं0 53 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 67 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 252 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 366 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 368 रकबा 1.91 है0, खसरा नं0 376 रकबा 1.90 है0, खसरा नं0 380 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.01 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 13.52 है0 वाके ग्राम रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। जिसमें वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/2 निहित है। उक्त वर्णित आराजी पर पारिवारिक मौखिक विभाजन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। तथा काश्त करते आ रहे है किन्तु विधिवत रूप से विभाजन नही होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन अनावश्यक वाद विवाद मेडबन्दी व कर्ता पिलाई की राशि जमा कराने को लेकर होते रहते है इसलिए वादीगण अब प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता नही रखना चाहते है। उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन मेडबन्दी को लेकर तथा कब्जा काश्त को लेकर वादीगण से विवाद करते है इसलिए वादीगण उक्त आराजी में से अपने हिस्से 1/2 को अपने पृथक खाते दर्ज करवाना चाहते है जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी व नालिशी है। अतः निवेदन है कि ग्राम रिझिंया की आराजी किता 14 कुल रकबा 13.52 है0 में वादीगण का 1/2 हिस्सा वादीगण के खाते पृथक से दर्ज किया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें तथा लगान भी पृथक से दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.09.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगणो की और से अधिवक्ता श्री हरिओम प्रजापत ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की दिनांक 25.04.2019 को बहस सुनी गयी। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा किया जावें एवं प्राथमिक डिक्री जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। दिनांक 25.04.2019 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया है कि आराजी में

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त अनुसार ही बंटवारा कर दिया जावे उक्त बंटवारा किये जाने में वादीगण व प्रतिवादीगण सहमत है। अतः सुनी गयी बहस व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रीझिंया की आराजी खाता संख्या 120 खसरा नं0 42 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 42/611 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 42/612 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 48 रकबा 1.84 है0, खसरा नं0 52 रकबा 0.94 है0, खसरा नं0 53 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 67 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 252 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 366 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 368 रकबा 1.91 है0, खसरा नं0 376 रकबा 1.90 है0, खसरा नं0 380 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.01 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 13.52 है0 में वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव समस्त पक्षकारों की मौजूदगी में बनाकर न्यायालय में पेश किया जावें। पत्रावली वास्ते मंगवाये जाने बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 24-6-19. को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को सरेईजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(आशीष कुमार)
मांगरोल
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां(राज0)

पीठासीन अधिकारीः– आशीष कुमार (आर.ए.एस.)

बउनवानः–

1. दिनेश पुत्र श्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. गायत्री बाई पुत्री श्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
3. उर्मिला बाई पुत्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजेश बाई पुत्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
5. सुनिता बाई पुत्री भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
6. कैलाश बाई पत्नि स्व0 भवानीशंकर जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
7. प्रिया नाबा0 पुत्री शिवराज जर्ये वली माता कलावती पत्नि स्व0 शिवराज जाति मीना निवासी रिझिया तहसील मांगरोल जिला बारां
8. कलावती पत्नि स्व0 श्री शिवराज जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मनोज कुमार पुत्र हंसराज जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजकरन्ता पुत्री हंसराज जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
3. रेणु कुमार पुत्री हंसराज जर्ये वली माता भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
4. गीता बाई पत्नि स्व0 हंसराज जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
5. हेमराज पुत्र केशरीलाल जाति मीना निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
6. रामगोपाल पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी रिझिंया तहसील मांगरोल जिला बारां
7. किशोर पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी गोपालपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
8. केलाबाई पुत्री अर्जुन पत्नि रामगोपाल जाति मीना निवासी गोपालपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दावा बाबत् :– 53, 188 आर. टी. एक्ट.

मुकदमा नम्बर :– 123/2018

निर्णय दिनांक :– 25.04.2019

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.04.2019 को आशीष कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि– वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रीझिंया की आराजी खाता संख्या 120 खसरा नं0 42 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 42/611 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 42/612 रकबा 0.40 है0, खसरा नं0 48 रकबा 1.84 है0, खसरा नं0 52 रकबा 0.94 है0, खसरा नं0 53 रकबा 1.32 है0, खसरा नं0 67 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 250 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 252 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 366 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 368 रकबा 1.91 है0, खसरा नं0 376 रकबा 1.90 है0, खसरा नं0 380 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.01 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 13.52 है0 में वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव समस्त पक्षकारों की मौजूदगी में बनाकर न्यायालय में पेश किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आदेश आज तारीख 25.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner